स0 सं0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक ..... .

विषय.– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गगोत्री पति– बज नाथ साह ग्राम– पोस्टल पार्क रोड नं0– 03 पो0– जी पी ओ थाना– जक्कनपुर जिला– पटना यूएचआईडी नं0– 104745602	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	वासुदेव पिता– राजेन्द्र सिह ग्राम– दरियापुर गोला रोड पो0– बांकीपुर थाना– कदमकुआ जिला– पटना यूएचआईडी नं0– 107288543	हीप रिप्लसेमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	सतोष कुमार यादव पिता– माधब यादव ग्राम+पो0– गगौली थाना– सकतपुर जिला– दरभंगा यूएचआईडी नं0– 105605369	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	अमरजीत कुमार पिता– दरोगी यादव ग्राम– जनकीडीह बेलदरिया पो0– जनकीडीह थाना– बन्नूबगीचा जिला– लखीसराय यूएचआईडी न0– 20130252490	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रीतु देवी पति–बिमलेश कुमार सिह ग्राम–ईशमोला पो0–ईशमोला थाना–दिघवारा जिला–सारण यु0एचआईडी–104397075	पोस्ट ट्रास्प्लाट	50,000	पचास हजार स्वीकृत विशेष परिस्थिति में।
			7,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,30,000/– **(सात लाख तीस हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 10874588593, खाता धारक का नाम– AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम– **अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),**RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2744 (14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 197001. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली–110029।

पटना, दिनाक .. ....

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	आरूषि कुमारी पिता– रामलखन साह ग्राम– पनिदाहा पो0– भकुना थाना– बिहरा जिला– सहरसा यूएचआईडी नं0– 107945148	हृदय रोग टीओएफ	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 60,000/- (**साठ हजार**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 19.7.001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0–10874584258, खाता धारक का नाम–AIIMS CT PATIENT'S'ACCOUNT खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–.**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536)**, RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय ।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक**

ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2745 (14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक स0 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक.. . ...

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शाति देवी पति– रणजीत कुमार ग्राम+पो0– कुकुढा थाना– ईटाढी जिला– बक्सर यूएचआईडी न0– 105692208	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **1,00,000/–** (**एक लाख**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **CA** 10874584292,खाता धारक का नाम– DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैंक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2746 (14) पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.. 197001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी0–1
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनाक . . . .

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	हरेंद्र कुमार शर्मा पिता– चदेश्वर शर्मा ग्राम– सुपटा पो0– मऊ थाना– मौ ओ पी टिकारी जिला– गयाजी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/– (एक लाख)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 /....197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50100143852078 खाता धारक का नाम–"**इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साईस**" खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **एच0डी0एफ0सी0 बैंक,** शाखा का नाम–Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, **ब्रांच,** RTGS/ IFSC कोड स0 HDFC0000273 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म. नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावष्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2749(14) पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 197001 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

मेडिकल सुप्रीटेडेट,
डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल,
नई **दिल्ली–110001**

पटना, दिनाक..... ... .

विषयः– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	आशीष कुमार चौधरी पिता– उमाकात चौधरी ग्राम+पो0+थाना– नेहरा जिला– दरभंगा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,35,000/– (एक लाख पैंतीस हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–26020100006069 खाता धारक का नाम–Dr. R.M.L. Hospital खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**बैंक आफ बड़ौदा**, शाखा का नाम– RTGS/IFSC कोड स0–BARB0RAMDEL मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जांय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशिं को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2750(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 197001 ...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11–1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Metro Hospitals & Heart Institute,
X-1, Sector-11-12,
L-94 Noida - 201301

पटना, दिनाक .. ..

विषयः– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

"मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	सिटू कुमार पिता– मुन्नी साव ग्राम+पो0– बिशुनगंज थाना– मखदुमपुर जिला– जहानाबाद	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,50,000 / – (चार लाख पचास हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान / अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान / अस्पताल के खाता सं0– 4127008700003187 खाता धारक का नाम–METRO INSTITUTES OF MEDICAL SCIENCES PVT LTD, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– PUNJAB NATIONAL BANK LIMITED, शाखा का नाम–SECTOR-1, NOIDA, U.P. - 201301, RTGS/ IFSC कोड सं0 PUNB0412700 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2751(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 197091 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,–226014

पटना, दिनाक .. ..

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राषि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	नवीन कुमार पिता– कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम+पो0– धरफरी थाना– देवरियां जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2025508894	Liver Abscess	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	प्रमेन्द्र कुमार पिता– नारायण राम ग्राम– मंझियावॉ पो0– पिरौता थाना– नबीनगर जिला– औरगाबाद सीआर न0– 2025794917	लीवर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	सत्यनारायण साह पिता– बैधनाथ साह ग्राम– चैनपुर पो0– ऐमा बिशुनपुर थाना– करजा जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2025545922	सोल्डर ऑपरेशन	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सुक शना खातून पति– अयूब बंसारी ग्राम+पो0– अगीयाव थाना– गोरेयाकोठी जिला– सिवान सीआर न0– 2025341271	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	लालबाबू प्रसाद पिता– दुखन प्रसाद ग्राम+पो0– पकडिया थाना– पहाडपुर जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर न0– 2020149746	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	भुनेश्वर यादव पिता– दूधनाथ यादव ग्राम– अमेया पो0– महुवान थाना– कटेया जिला– गोपालगज सीआर नं0– 2006319876	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	मनीष कुमार सिंह पिता– सत्येन्द्र सिह ग्राम– बंगरा उज्जैन पो0– मिया के भटकन थाना– आन्दर जिला– सिवान सीआर न0– 2022601412	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	रविद्र प्रसाद पिता– रामद्रश प्रसाद ग्राम– नूर छपरा पो0– दाउद छपरा थाना– मीनापुर जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2010651073	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	जोगिन्दर सिंह पिता– विन्देश्वरी सिंह ग्राम+पो0– कर्मा लहॅग थाना– टडवा जिला– औरगाबाद सीआर न0– 2025203821	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सुनैना देवी पति– बबन यादव ग्राम– हरदोबारा पो0– बभनबारा थाना– बडहरिया जिला– सिवान सीआर न0– 2025503814	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	रबिता पति– पवन शर्मा ग्राम– खजुहा कला पो0– महेशपुर थाना– विजयीपुर जिला– गोपालगज सीआर न0– 2025606235	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

12	सुनीता कुमारी पति– मुकेश पासवान ग्राम– सुकसेनवा मिश्र पो0– भागीपट्टी झील थाना– कटेया जिला– गोपालगज सीआर नं0– 2025594550	Left Renal Calculus	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
13	अमित कुमार चौहान पिता– केदार महतो ग्राम– दूबे खरेया पो0– सोनहुला गोखुल थाना– गोपालपुर जिला– गोपालगज सीआर नं0– 20241103004	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	गोरख भगत पिता– विभूति भगत ग्राम– नारू चकरवा पो0+थाना– भोरे जिला– गोपालगज सीआर न0– 20241153950	लीवर सिरोसिस	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	मनीष कुमार पिता– बृजनन्दन चौधरी ग्राम– आर0के0 भट्टाचार्या रोड बम्पर टोला पो0– जी0पी0ओ0 थाना– गॉधी मैदान जिला– पटना सीआर नं0– 2023937645	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	चन्दा खातुन पति– मो0 सोहेल ग्राम– खोदा नगर वार्ड 13 पो0– मोतिहारी थाना– छतौनी जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर न0– 2025118704	किडनी रोग इएसआरडी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	जानवी कुमारी पिता– जगन कुमार ग्राम– जितौरा वार्ड 14 पो0– जितौरा थाना– मधुबन जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर न0– 20241115003	Pediatric Surgical	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	सौरभ कुमार पिता– उमेश कुमार मिस्त्री ग्राम– उचौली पो0– रेगनिया थाना– मदनपुर जिला– औरंगाबाद सीआर न0– 2025019315	कैसर रोग (ट्यूमर)	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			19,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 19,30,000/– (उन्नीस लाख तीस हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम–''**निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0** खाता'' खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**भारतीय स्टेट बैंक**, शाखा का नाम–**एस0जी0पी0जी0आई0**,RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0007789 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2752(14) पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 197001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइस
वाराणसी –**221005**

पटना, दिनांक.....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	वैजनाथ चौधरी पिता– देवधारी चौधरी ग्राम– सदीपुर पो0– पूर्णाडीह थाना– ओबरा जिला– औरगाबाद एमआरडी नं0– 6152574	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रेशमा नेशा पति– इस्मायल मियां ग्राम+पो0– बैरियां थाना– कटेया जिला– गोपालगज एमआरडी न0– 7698173	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रमाशकर राम पिता– शिवकुमार राम ग्राम– कझाव पो0– डिही थाना– शिवसागर जिला– रोहतास एमआरडी न0– 7729469	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सचिन्द्र कुमार मिश्रा पिता– अरूण कुमार मिश्रा ग्राम– बेलबनवा पो0– मोतिहारी थाना– टउन जिला– पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0– 6957004	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	गीता देवी पति– महावीर यादव ग्राम– सोनेखाप पो0+थाना– शेरघाटी जिला– गयाजी एमआरडी न0– 3969801	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	आरती देवी पति– मिथलेश तिवारी ग्राम– भारंदुआ पो0– चीलारी देवी थाना– चेनारी जिला– रोहतास एमआरडी न0– 6640693	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	उमेश प्रसाद केशरी पिता– गोपाल प्रसाद केशरी ग्राम– लालपपुर कुदरा पो0+थाना– कुदरा जिला– कैमूर भभुआ एमआरडी नं0– 6885185	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
8	कलावती देवी पति– श्रीधर शर्मा ग्राम– बडहेटा (गढ) पो0– तिलैया थाना– बाकेबाजार जिला– गयाजी एमआरडी न0– 6286200	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	बीरन राय पिता– राज बलम राय ग्राम– चन्ना पो0– इसरौली थाना– मढौरा जिला– सारण एमआरडी नं0– 4864367	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 9,35,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,35,000/– (**नौ लाख पैंतीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 177001 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **27790100039150** खाता धारक का नाम– **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **Bank of Baroda**, शाखा का नाम– **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2753 (14) पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 197001 ...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 24/9/25

सं0 स0 14 /एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा0 लि0
डी0एल0 डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनाक.. ....

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	धरमदेव चौधरी पिता– शिवमगल चौधरी ग्राम– पांडेयपुर पो0– उपाध्यायपुर थाना– औधोगिक जिला– बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शिवपूजन सिंह पिता– कुमार सिह ग्राम– दुबे के सरैया पो0– हाटा थाना– चैनपुर जिला– कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	वकील फारूकी पिता– सुलतान फारूकी ग्राम+पो0+थाना– शिवसागर जिला– रोहतास	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 2,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,10,000/–(दो लाख दस हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0–**36180579026,** खाता धारक का नाम– **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार– , बैंक का नाम– **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,** शाखा का नाम– **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड स0–SBIN0009252 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2754 (14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ..19.7001. .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि'–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
होमी भाभा कैसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक..

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	विन्दु तिवारी पति– ओम प्रकाश तिवारी ग्राम– कोऑपरेटिव कॉलोनी गोढना रोड आरा पो0– अनाईठ थाना– नवादा जिला– भोजपुर केस फाईल नं0– 18एफ2023/003489	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विजन्ती देवी पति– जगरनाथ प्रजापति ग्राम– पाखोपाली पो0– रूदलपुर थाना– भोरे जिला– गोपालगज केस फाईल न0– 18एफ2025/009523	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कृष्णा प्रिया पिता– श्रीकात पांडेय ग्राम+पो0– कोंदी थाना– पडारक जिला– पटना केस फाईल नं0– 16एफ2025/001694	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	राजेद्र ठाकुर पिता– रत्नेश्वर ठाकुर ग्राम+पो0– धधुआ थाना– जन्दाहा जिला– वैशाली केस फाईल न0– सीएल/32915	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	मीना देवी पति– अमरेन्द्र कुमार ग्राम– बलिहार पो0– दुल्लहपुर थाना– सिमरी जिला– बक्सर केस फाईल न0– 18एफ2024/005666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	कमलेश कुमार पिता– बाबू चद्र सिह ग्राम– नियाजीपुर पो0+थाना– फतुहा जिला– पटना केस फाईल न0– 16एफ2025/001350	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सूर्यदेव भगत पिता– स्व मगल भगत ग्राम– चतरा पो0– मालवण थाना– खुदावा जिला– औरगाबाद केस फाईल नं0– सीएस/27460	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मास्टर रेहान मियां पिता– अली अख्तर मियां ग्राम+पो0– बेलहिया थाना– दरपा जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0– 16एफ2024/001990	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मदन कुमार पिता– रमुना शर्मा ग्राम– लडुई पो0– कुसुमहरा थाना– सूर्यपुरा जिला– रोहतास केस फाईल न0– 18एफ2025/006598	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	रमेश कुमार गुप्ता पिता– स्व0 रामनाथ प्रसाद गुप्ता ग्राम– शकर सरैया फतेह टोला पो0– शकर सरैया थाना– तुरकौलिया जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0– 18एफ2024/003857	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	घनश्याम प्र0 चौरसिया पिता– शिव नारायण चौरसिया ग्राम+पो0+थाना– हसपुरा जिला– औरगाबाद केस फाईल न0– 16एफ2025/001665	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	सुस्मा देवी पति– रविद्र कुमार सिह ग्राम+पो0– मजुराही थाना– मुफ्फशली जिला– औरगाबाद केस फाईल न0– केडी/15101	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	सुमन द्विवेदी पति– सजीव कुमार द्विवेदी ग्राम– तिताईगज पो0+पो0– टिकारी जिला– गयाजी केस फाईल न0– केई/02491	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	मास्टर आर्यन कुमार पिता– जीतेन्द्र सिह ग्राम– तकिया पो0– तकिया बाजार थाना– सासाराम जिला– रोहतास केस फाईल नं0– 16एफ2025/000552	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	पल्ल्वी कुमारी पिता– मुना कुमार शर्मा ग्राम– कपिया निजामत पो0+थाना– महराजगंज जिला– सिवान केस फाईल न0– 16एफ2025/000972	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अब्दुल कादीर पिता– किताब मिया ग्राम+पो0– चनचौरा थाना– रसूलपुर जिला– सारण केस फाईल नं0– 18एफ2025/014086	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	इस्तियाक अहमद पिता– अल्ताफ ग्राम– बगही पो0– बनाही थाना– बिहियॉ जिला– भोजपुर केस फाईल न0– 18एफ2025/010242	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

18	लक्ष्मी पति पिता– रजनीश कुमार ग्राम– तिनेरी पो0– नदौल थाना– मसौढी जिला– पटना केस फाईल न0– 16एफ2025/001484	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	मास्टर प्रिस कुमार पिता– पिटू माझी ग्राम– केवाल पो0+थाना– सिरदला जिला– नवादा केस फाईल न0– 16एफ2025/001318	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	मास्टर आर्यन कुमार पिता– सोनू ठाकुर ग्राम– सिकदरपुर घी सेटर पो0– प्रधान डाक घर थाना– नगर जिला– मुजफ्फरपुर केस फाईल न0– 19एफ2023/001509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	रामचदर प्रसाद पिता– सोनपाल सहाय ग्राम+पो0– धमना थाना– बाराचट्टी जिला– गयाजी केस फाईल न0– 18एफ2024/007750	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
22	कचन देवी पति– रामु प्रसाद ग्राम– शीतल टोला आरा पो0– शिवगंज थाना– टाउन जिला– भोजपुर केस फाईल न0– 18एफ2023/017317	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	मजू देवी पति– फूलचद कुशवाहा ग्राम– बिशुनपुरवा पो0– सिसवनिया थाना– लौरिया जिला– पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0– 18एफ2025/013042	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

24	आशा देवी पति– बिनय कुमार गुप्ता ग्राम– चाकद बाजार पो0+थाना– चाकद जिला– गयाजी केस फाईल न0– 12एफ2024 / 001704	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	समसुद्दीन पिता– बली मोहम्मद ग्राम– रेकाबगज पो0– भागलपुर सिटी थाना– ततारपुर जिला– भागलपुर केस फाईल नं0– 18एफ2025 / 012387	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	घनश्याम प्रसाद केशरी पिता– हरी चरण शाह ग्राम+पो0– फखराबाद थाना– कुदरा जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल नं0– 18एफ2025 / 011663	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
27	बुचु विन्द पिता– तुलसी विन्द ग्राम– सदुल्लाहपुर पो0– डरवन थाना– रामगढ जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल न0– 18एफ2025 / 013574	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	सुनीता देवी पति– अखिलेश कुमार राय ग्राम– भटपुरवा पो0– करम्हरी थाना– कुढनी जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल न0– केबी / 60947	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	मुकेश कुमार सिंह पिता– रमेंन्द कुमार सिंह ग्राम+पो0– कसाप थाना– उदवतनगर जिला– भोजपुर केस फाईल न0– 16एफ2025 / 001582	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	गौतम कुमार पिता–सुखारी साह ग्राम–धगर पो0–धगर थाना–परसौनी जिला–सीतामढी केसफाइलन0–19एफ2025 / 003003	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

31	कान्ति देवी पति– कमलेश प्रसाद ग्राम– पटवा टोली पो0+थाना– दाउदनगर जिला– औरंगाबाद केस फाईल न0– 18 एफ 2025/013729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सुनीता सिह पति– सजीत कुमार सिह ग्राम– जितवारपुर महेसिया पो0– सूतिहार थाना– डेरनी जिला– सारण केस फाईल न0– 18 एफ 2024/008066	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			31,70,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 31,70,000/- (**एकतीस लाख सत्तर हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **3675632747** खाता धारक का नाम– **होमी भाभा कैंसर हौस्पीटल,वाराणसी,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2755(14) पटना, दिनाक– 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 197001 . की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,
Bhikharipur, B.L W., Sunderpur Road,
Varanasi - 221004

पटना, दिनाक .....

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

"मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम--4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	शिव कुमार पिता– धर्मदेव सिह ग्राम– ससना पो0– महुवा थाना-- बडेम ओ पी जिला– औरगाबाद	Hematoma (SDH)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000 / – (एक लाख)** रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान / अस्पताल के खाता स0– **21040638381,** खाता धारक का नाम– Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार–, बैंक का नाम– INDIAN BANK, शाखा का नाम– Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000B874 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही**

बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2756(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 197001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर सेंटर,
सुन्दर बगिया, बी0 एव0 यू0 परिसर,
वाराणसी– 221005 (उत्तर प्रदेश)

पटना, दिनाक

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बूधिया देवी पति– प्रह्लाद अहरी ग्राम– निमेज टोला डुमरा पो0+थाना– डुमरा जिला– बक्सर केस फाईल न0–18एफ2025/011801	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (**साठ हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **3740115281,** खाता धारक का नाम– Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre, Varanasi, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0285166 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6 **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/--
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2757(14) पटना, दिनाक– 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 177001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई –400012

पटना, दिनाक . .

विषय – **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमा क	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अनिता देवी पति– शशि भूषण सिह ग्राम+पो0– दौलतपुर सिमरी थाना– बिहटा जिला– पटना केस फाईल न0– सीएस / 29417	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	अजली गाई पति– सुरेन्द्र प्रसाद गाई ग्राम– सरस्वती नगर सुन्दरपुर पो0– लालबाग थाना– एल0 एन0 एन0 यु0 जिला– दरभगा केस फाईल न0– सीडी / 15443	कैसर रोग	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत।
3	सौरभ सोलकी पिता– प्रमोद सिह ग्राम– कुलना पो0– कुसुम्हार थाना– अकबरपुर जिला– नवादा केस फाईल न0– 11एफ2023 / 028998	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कचन कुमारी पति– अजीत कुमार ग्राम– झिनौरा पो0– महिसोना थाना– तेतरहाट जिला– लखीसराय केस फाईल न0– सीआर / 21177	कैसर रोग	45,000	पैतालीस हजार स्वीकृत।

5	रविन्द्र साव पिता– कृष्णा साव ग्राम– विजय टांड पो0– मरूई थाना– नवादा जिला– नवादा केस फाईल न0– सीवी/41600	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृ..
			3,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (**तीन लाख**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **1002449683** खाता धारक का नाम– **टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई,** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– **टी0एम0एच0,** RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0284241 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2758 (14) पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 197001.. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 न0–3,भेल्लोर–632004

पटना, दिनाक

विषय – **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राधा देवी पति– कारू सिह ग्राम– बैजलपुर पो0– अमैया थाना– असरगज जिला– मुगेर सीएमसी न0– एएच 04481	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विजय कुमार सिह पिता– रामनरेश सिह ग्राम– नोऑव पो0– सोरवर्षा थाना– ओबरा जिला– औरगाबाद सीएमसी न0– एजे 35695	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सगीता देवी पति– सुशील भगत ग्राम– भेलानारी पो0– सालहा थाना– गोविन्दगज जिला– पूर्वी चम्पारण सीएमसी न0– 592440 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	आशा देवी पति– रवि शकर सिह ग्राम– चौहानडीह पो0+थाना– खैरा जिला– जमुई सीएमसी न0– 506555 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	वीणा देवी पति– पकज कुमार पंकज ग्राम+पो0– रूपौ थाना– रूपो जिला– नवादा सीएमसी न0– एएच 96900	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
6	सुभम कुमार सिह पिता– रमेश प्रसाद सिह ग्राम+पो0– गुलनि थाना– शभुगज जिला– बाका सीएमसी न0– एए 59407	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	मिनी कुमारी पति– रंजीत प्रसाद ग्राम– भलुआही पो0– केवाली थाना– कौवाकोल जिला– नवादा सीएमसी न0– एजे 30921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	उर्मिला देवी पति– सजय प्रसाद ग्राम– देवराज पो0– मैगरा थाना– इमामगज जिला– गयाजी सीएमसी न0– एजे 89430	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	श्यामा देवी पिता– सूर्यदेव यादव ग्राम– बेलही पो0– परवा थाना– जयनगर जिला– मधुबनी सीएमसी न0– 425291 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	शाहदा खातून पति– मो0 इबरार खान ग्राम– कोलौना पो0– चेरकी थाना– गुरूआ जिला– गयाजी सीएमसी नं0– 482767 पी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मधु देवी पति– सजय प्रसाद सोनी ग्राम+पो0+थाना– अम्बा जिला– औरगाबाद सीएमसी नं0– एजे 73920	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	सरोज देवी पति– सुरेद्र आर्य ग्राम– वेस्ट लक्ष्मी नगर खेमनीचक पो0– न्यू जगनपुरा थाना– रामकृष्ण नगर जिला– पटना सीएमसी न0– एडी 09709	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			13,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,40,000/– (**तेरह लाख चालीस हजार**) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 .197001 ....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–36889551846, खाता धारक का नाम– C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–एस0बी0आई0, शाखा का नाम– भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता ।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. चिकित्सा **CGHS के दर पर ही की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2759 (14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 197001 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेश्लीटी अस्पताल,
120 / 1, अंदुल रोड़,
हावडा–711103

पटना, दिनाक.. .

विषय– **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजं को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पिता– रामजी प्रसाद ग्राम– शाहाबाद पो0+थाना– पीरपैती जिला– भागलपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 / –	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 1,00,000 / – **(एक लाख)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0–30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197091 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान / अस्पताल के खाता स0–**921030004381537,** खाता धारक का नाम– **मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल** लि0, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–AXIS BANK LTD, शाखा का नाम–सी0बी0बी0 बगलौर **ब्रांच, हावड़ा** वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स0 UTIB 0001541 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधि मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से**

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2760(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 177001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, **सभी संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ– 160012

पटना, दिनाक. .

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमाक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	आलिया हूर पति--सैफ अहमद ग्राम–लालकोठी वार्ड 13 पो0–दानापुर कैट थाना–दानापुर जिल--पटना सीआरन0–202502273240	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहतर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- **(दो लाख पचहत्तर हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0– 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 10413583830 खाता धारक का नाम–"**डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0** " खाते का प्रकार– चालु बैक का नाम– **एस0 बी0** आई0, शाखा का नाम– **मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर–12, चंडीगढ** RTGS/IFSC कोड स0 **01524** मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर **लिया जायेगा।**

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2761(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 .19709/ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक,
इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज
एड रिसर्च सेंटर बी0जे0 मेडिकल कालेज
एडं सिविल अस्पताल कैम्पस असरवा
अहमदाबाद–380016

पटना, दिनाक. ... .

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की **दिनांक 17.09.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गोपाल कुमार विश्वनाथ महतो पिता– विश्वनाथ महतो ग्राम– बैरिया पा0– पैगम्बरपुर कोल्हुआ थाना– अहियापुर जिला– मुजफ्फरपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/– **(तीन लाख)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 –353501011014063 खाता धारक का नाम–"**इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज एडं रिसर्च सेंटर**" खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **युनियन बैंक आफ इंडिया**, शाखा का नाम–Civil Hospital Compound Branch, **ब्रांच**, RTGS/ IFSC कोड स0 UBIN 0558486 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2762(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 197001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11–01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता–700027

पटना, दिनाक .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मो0 इब्राहिम पिता– निजामुद्दीन साई ग्राम– बलेथा बाजार पो0– पकवलिया थाना– सिवान मुफ्फसिल जिला– सिवान	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 1,35,000/– (एक लाख पैतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **232102000000002,** खाता धारक का नाम– बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**इंडियन ओवरसीज बैंक,** शाखा का नाम–**7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकता–700027 ब्रांच,** RTGS/IFSC कोड स0 IOBA0002321 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2764(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.....197001/की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
गगा सेवा सदन हॉस्पिटल,
चॉदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),
बनारस बीड्स के पास,
वाराणसी–221106

पटना, दिनाक .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **17.09.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	उत्सव कुमार पिता– सजय कुमार कश्यप ग्राम– मुबारक गज पो0+थाना– सासाराम जिला– रोहतास	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/– (**पचहत्तर हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 19710/ .... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **60515973070,** खाता धारक का नाम– **GANGA SEWA SADAN HOSPITAL,** खाते का प्रकार– **CURRENT ACCOUNT**, बैक का नाम– **BANK OF MAHARASHTRA,** शाखा का नाम– **VARANASI,** RTGS/IFSC कोड स0– **MAHB0001290** मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापरा किया जाय।**

6 **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2766(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 .197001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
नई दिल्ली–29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
झज्जर

पटना, दिनाक ....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17 09 2025 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	उपेद्र कुमार महतो पिता– स्व0 रामवरत महतो ग्राम– महमदपुर पो0+थाना– गुरारू जिला– गयाजी यूएचआईडी नं0– 107610258	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

नोट :– चेक "NCI PATIENT TREATMENT" के नाम से निर्गत है।

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /– **(एक लाख)** रूपये का क्रास चेक स0 179.96 ....मूल रूप में सलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियें का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार**

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (**RTGS/NEFT**) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2747(14) पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ सबधित मरीज /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
गोरखपुर 273008

पटना, दिनांक

विषयः— **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	पिंटू कुमार साह पिता– बाबूराम साह ग्राम– पियरौटा पो0– लामीचौर थाना– भोरे जिला– गोपालगंज सीआर न0– 999182502866764	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000 /– **(पचास हजार)** रूपये का क्रास चेक स0 176997 ... . मूल रूप में सलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाय।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा**

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2748 (14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सबधित मरीज /आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11– 1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
रारोज गुप्ता कैंसर सेंटर एडं रिसर्च
इ0 महात्मा गांधी रोड, ठाकुर पुकुर
कोलकता–700063

पटना, दिनाक . . .

विषय.– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सजीदा खातून पति– मोहम्मद मुस्तफा ग्राम– नारायणपुर पो0– नूरपुर थाना– रिफाईगारी ओ पी जिला– बेगूसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			रू0 80,000/–	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 ₹ 80,000/–(अस्सी हजार) का क्रास चेक स0. 176998 ..... मूल रूप मे सलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री**

चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2763(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख

रा0 स0 14 / एम 11–1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
कैंसर अस्पताल 3081,नयाबाद,
कोलकता–700094

पटना, दिनाक .

विषय– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनाक **17.09.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मानव कुमार पिता– भूषण प्रसाद ग्राम– डेरागज पो0+थाना– बख्तियारपुर जिला– पटना	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/–	

नोट– चेक– **"Netaji Subhas Chandra Bose Cancer Hospital"** के नाम से निर्गत है।

2 उक्त अनुदान की कुल ₹ 1,00,000/– (एक लाख) रूपया का क्रास चेक स0.. 176997 ....
.मूल रूप में सलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व ज्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2765(14) पटना, दिनाक 24/9/2025

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

निदेशक प्रमुख